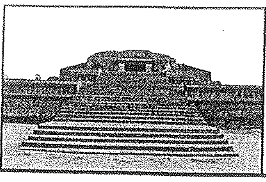

भागलपुर समाहरणालय
(जिला सामान्य शाखा)

बिहार सरकार

आदेश

विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 84 के आलोक में दीपावली के त्योहार–2018 के अवसर पर अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिये अस्थायी अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है। **जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर द्वारा संचिका संख्या–15–01/2007 के टिप्पणी पृष्ठ–133 पर दिनांक 31.10.2018 के निदेश के आलोक में** दीपावली त्योहार के अवसर पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा और अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा और पटाखा के बिक्री करने हेतु अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिये अस्थायी अनुज्ञप्ति निम्न शर्त्तों पर दिया जाएगा :–

1. पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से बना हो, जहाँ अनाधिकृत व्यक्ति का पहुँच नहीं हों।
2. पटाखा रखने का स्थान (धारण स्थल) एवं विक्रय स्थल एक दूसरे से 03 मीटर की दूरी तथा संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो।
3. विक्रय स्थल एव संरक्षित स्थल आमने–सामने न हो।
4. तेल से जलता हुआ लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रौशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हो। पटाखा स्थल में यदि बिजली की रौशनी का प्रयोग होता है तो भवन के दीवाल या छत में फिक्स किया हो। झुलता हुआ बिजली का तार कदापि प्रयोग में नहीं लाना है। प्रत्येक दुकान के लिए स्वीच अलग–अलग दीवाल पर फिक्स रहेगा और उसका मास्टर स्वीच कतारबद्ध रहेगा।
5. पटाखा का प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अन्दर नहीं रहेगा।
6. एक कलस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. दीपावली में एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिये Major Head - 0070, Sub Major Head- 60, Minor Head-103, Sub Head- 0001, Bill Code- R007060103001 में मो०–500/–(पाँच सौ) रूपये का चालान जमा करना होगा। जमा करने के पश्चात् अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाय।

उपरोक्त शर्त्तों के अधीन दीपावली–2018 के अवसर पर अस्थायी पटाखा धारण एवं विक्रय के लिये अनुमंडलवार सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, भागलपुर जिला को शक्ति प्रदान की जाती है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक : 15–01/2007/2834/ सा0, भागलपुर दिनांक 02-11-18

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला अग्निशाम पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, भागलपुर/अपर समाहर्त्ता, भागलपुर/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– डी०आई०ओ०, एन.आई.सी., भागलपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट **www.Bhagalpur.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2/11/18

अपर जिला दण्डाधिकारी,
भागलपुर।

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R), Fax